

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (म0प्र0)

:: सिविल कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 ::

क्रमांक 103 / सां.लि./एक-9-2/2009

मण्डला, दिनांक 24 जनवरी 2024

मैं एस.के. जोशी, प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला (म0प्र0), पूर्व में जारी सिविल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 05/सां.लि./एक-9-2/2009 मण्डला, दिनांक 02 जनवरी, 2023 एवं उसके पश्चात् किये गये संशोधन संबंधी विभिन्न आदेशों को अतिष्ठित करते हुए व्यवहार न्यायालय नियम 1955 की धारा 15 एवं 21(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार सिविल कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो दिनांक 01.02.2024 से प्रभावशील होगा :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क0	प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा।
1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला एवं सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला	सिविल जिला मण्डला	1.	रूपये 2,00,00,001/- (रूपये दो करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब के वाद
			2.	मुख्यालय मण्डला एवं भुआ बिछिया में पदस्थ सभी सिविल जज (वरिष्ठ या कनिष्ठ खण्ड) एवं ग्राम न्यायाधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत नियमित या विविध व्यवहार अपील।
			3	म.प्र. लोक फण्ड ऑडिट एक्ट 1933 की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4.	म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिका।
			5.	भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन पत्र।
			6	म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			7	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 31 के अंतर्गत पेश अपील।
			8.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णय अधिकारी मण्डला द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील।
			9.	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।
			10	धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पत्र।
			11.	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) से संबंधित समस्त प्रकरण।
			12.	किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद, अपील एवं आवेदन पत्र की सुनवाई, जिनका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है।
02.	प्रथम जिला न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश एवं सदस्य अति0मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला	तहसील मण्डला	1.	तहसील मण्डला से उद्भूत 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक) रूपये से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रूपये तक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद वर्ग-अ एवं वर्ग-ब।
			2.	रूपये 500/- से 1000/- रूपये तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			3.	ऐसे समस्त दुर्घटना दावा प्रकरण, जिनके दावेदार तहसील मण्डला क्षेत्र में निवास करते हैं या इस क्षेत्र

				में दुर्घटना घटित हुई हो।
			4.	सिविल जिला मण्डला के <u>गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट</u> के समस्त प्रकरण।
			5.	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
03.	प्रथम जिला न्यायाधीश मण्डला		1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
04.	तृतीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर	तहसील नैनपुर	1	रूपया 1,0000001/- (एक करोड़ एक रूपये) से 2,0000000/- (दो करोड़ रूपये) तक के नियमित व्यवहार वाद अ एवं ब।
			2	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			3	विशेष विवाह अधि० 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			4	मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधि० 1939 एवं मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वैवाहिक प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			5	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधि० 1937 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			6	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधि० 1872 एवं क्रिश्चियन डायवोर्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			7	विवाह विच्छेद अधि० 1869 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			8	पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधि० 1936 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			9	हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधि० 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			10	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों में संबंधित अन्य मामले
			11.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ या कनिष्ठ खण्ड नैनपुर द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध पेश व्यवहार अपील।
			12.	तहसील नैनपुर से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण जिसमें दावेदार उस क्षेत्र में निवासरत हो या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			13.	रूपये 500/- से 1000/- रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			14.	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
05.	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला,	सिविल जिला मण्डला	1.	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
			2	चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियों (चैक, निष्पादन प्रकरण, एम. जे.सी. प्रकरण आदि) से संबंधित <u>प्रकरणों/आवेदन</u>

				पत्रों के आलोक में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ।	
06.	पंचम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला	तहसील बिछिया एवं घुघरी	1	रूपया 1,0000001/- (एक करोड़ एक रूपये) से 2,0000000/- (दो करोड़ रूपये) तक के नियमित व्यवहार वाद अ एवं ब।	
			2	रूपये 500/- से 1000/- रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।	
			3	तहसील बिछिया व घुघरी से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण, जिसमें दावेदार इस क्षेत्र में निवासरत हो या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।	
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।	
		तहसील बिछिया एवं घुघरी	5	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।	
	6		विशेष विवाह अधि० 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	7		मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधि० 1939 एवं मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वैवाहिक प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	8		मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधि० 1937 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	9		भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधि० 1872 एवं क्रिश्चियन डायवोर्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	10		विवाह विच्छेद अधि० 1869 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	11		पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधि० 1936 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	12		हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधि० 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)		
	13		बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों में संबंधित अन्य मामले		
			राजस्व जिला मंडला	14.	मंडला जिला से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
	15.			मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत राजस्व जिला मंडला से संबंधित प्रकरण (बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है)	
	16.			प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।	
07.	जिला न्यायाधीश निवास एवं अतिरिक्त मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण निवास	तहसील निवास एवं नारायणगंज	1	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उद्भूत होने वाले 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रूपये) से 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद वर्ग अ एवं ब।	
			2	रूपये 500/- से 1000/- रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।	


			3.	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			4.	निवास में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध पेश व्यवहार अपील।
			5.	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण, जिनमें दावेदार इस क्षेत्र में निवासरत हों या इस क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई हो।
			6.	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित कोई प्रकरण या आवेदन पत्र।
08.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 139, 172 के अंतर्गत पेश अपील।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
			3	सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड की सुनवाई योग्य अन्य कोई आवेदन पत्र एवं अपील (किसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत)।
			4	जिला मुख्यालय मंडला तथा तहसील निवास/नैनपुर में किसी <u>व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का न्यायालय रिक्त होने पर</u> उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत कोई आवेदनपत्र, निष्पादन प्रकरण या रिमांड प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।
09.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	5,000,01/- (पांच लाख एक रुपये) से रुपये 5000000/- (पचास लाख रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद अ एवं ब।
			2	500/-रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
10.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, निवास, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	5,0000,01/- (पचास लाख एक रुपये) से रुपये 1,0000000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद अ एवं ब।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
11.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला एवं तहसील घुघरी	1	200001/-रु. से 5,000,00/-रु. (दो लाख एक रुपये से पांच लाख रुपये) तक वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
		ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार	3	माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 3415 दिनांक 06-10-2008 के द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमा तक उत्पन्न होने वाले सिविल प्रकरण।
12.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील	1	2,000,00/-रु. (दो लाख) तक मूल्य के सभी प्रकार के नियमित व्यवहार वाद।

	खण्ड मण्डला	मण्डला	2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
			3	ऐसे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला के न्यायालय जो पूर्व में संचालित थे किन्तु वर्तमान में रिक्त है, उनसे संबंधित समस्त कार्य करेंगे।
13.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	तहसील निवास	1	5,000,00/-रु. (पांच लाख रुपये) वादमूल्य तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
14.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	तहसील नारायणगंज	1	5,000,00/-रु. (पांच लाख रुपये) तक वादमूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
15.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नैनपुर	तहसील नैनपुर	1	5,000,00/-रु. (पांच लाख रुपये) वादमूल्य तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
16.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बिछिया	तहसील बिछिया	1	5,000,00/-रु. (पांच लाख रुपये) तक वादमूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र।

नोट :-


- 1- यह कार्य विभाजन आदेश इस सिविल जिला न्यायालय में लंबित किसी भी मामलों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि उक्त कार्य विभाजन आदेश में कोई तथ्य छूट गया हो या कोई तथ्य लाना आवश्यक हो, तो तत्संबंध में शीघ्र अवगत करया जावे।
- 2- कुटुम्ब न्यायालय मण्डला के प्रधान न्यायाधीश के अवकाशकाल एवं अनुपस्थिति की दशा में उनके क्षेत्राधिकार का सामान्य एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य प्रथम जिला न्यायाधीश मंडला की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) मण्डला द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।
- 3- किसी न्यायाधीश के अवकाशकाल एवं अनुपस्थिति अथवा स्थानांतरण होने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संलग्न-कार्य प्रभार तालिका अनुसार उपस्थित प्रभारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- 4- जिन न्यायालयों/अधिकरण द्वारा मूल प्रकरण, विविध न्यायिक प्रकरण, आवेदन पत्र, क्लेम, पिटीशन निर्णीत किये गये हों, उनके निष्पादन प्रकरण व विविध प्रकरण या उससे उद्भूत कोई आवेदन पत्र भी उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- 5- जब कभी पुनर्स्थापना अथवा एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन, मूल आदेश पारित करने वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निराकृत किया जाए, तब मूल पुनर्स्थापित प्रकरण, उसी न्यायालय द्वारा सुना एवं निराकृत किया जायेगा, जिसने प्रकरण पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है।
- 6- म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1955 की धारा-21(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश दिया जाता है, कि ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में समस्त न्यायालय कार्य विभाजन आदेश के अन्तर्गत आबंटित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले अत्यावश्यक कार्य का निराकरण कर सकेंगे।
- 7- मंडला मुख्यालय पर किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नियमित न्यायाधीश या ट्रेनी जज के न्यायालय का रिक्त होने की दशा में उनके द्वारा निराकृत प्रकरण से उद्भूत कोई आवेदन पत्र या निष्पादन प्रकरण या रिमांड प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा ग्रहण कर निराकृत किया जायेगा।

- 8- श्रृंखला न्यायालय नैनपुर में कार्यरत न्यायाधीश, मुख्यालय मण्डला में कार्य के दौरान अपनी श्रृंखला न्यायालय से संबंधित क्षेत्र से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, अपील या अन्य आवेदनपत्र ग्रहण कर निराकृत करेंगे तथा आगे ऐसे मामले श्रृंखला न्यायालय में पंजीबद्ध कर सुने जा सकेंगे।
- 9- वर्तमान में न्यायिक स्थापना नैनपुर व बिछिया में केवल 1-1 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कार्यरत हैं। अतः वहां पर पूर्व में कार्यरत किसी व्यवहार न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वाद/अन्य अनुषांगिक कार्यवाही से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई वहां कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड द्वारा की जायेगी। यदि वहां व्यवहार न्यायाधीश का पद रिक्त रहता है, तो उस दशा में सुनवाई मुख्यालय में पदस्थ उस न्यायाधीश द्वारा की जायेगी, जिसे उस न्यायालय का प्रभार दिया गया है।
- 10- तहसील निवास में पूर्व में कार्यरत यदि कोई न्यायालय रिक्त हो, तो उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों के रिमांड होने पर या अन्य अनुषांगिक कार्यवाही द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास द्वारा की जायेगी। यदि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास का पद रिक्त रहता है, तो ऐसे प्रकरणों में सुनवाई कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास द्वारा की जायेगी।
- 11- मुख्यालय मंडला में पूर्व द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश की न्यायालय, प्रथम जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अति० जिला न्यायाधीश मंडला तथा अन्य कोई अपर जिला न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप उन न्यायालयों द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के रिमांड होने अथवा उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों की सुनवाई पंचम जिला न्यायाधीश मंडला द्वारा की जायेगी तथा पंचम जिला न्यायाधीश मंडला का पद रिक्त होने की दशा में उक्त प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।
- 12- न्यायालय-प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मंडला का पद रिक्त रहने तक उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध/निष्पादन कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरणों/आवेदनपत्रों का निराकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मंडला द्वारा किया जाएगा।


(एस.के. जोशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंडला (म.प्र.)

प्रतिलिपि -

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मण्डला
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मंडला,
3. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति 'अत्याचार निवारण' अधिनियम) मंडला,
4. प्रथम/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश मण्डला
5. तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर
6. जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश निवास
7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला
8. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
9. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मण्डला (प्रशिक्षु न्यायाधीश)
11. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश मण्डला (प्रशिक्षु न्यायाधीश)
12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मंडला की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश मण्डला (प्रशिक्षु न्यायाधीश)
13. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास
14. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नैनपुर
15. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुआबिछिया
16. प्रस्तुतकार/निज सचिव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला
17. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मंडला/निवास/नैनपुर/भुआबिछिया
18. पंजीयन लिपिक मंडला/निवास/नैनपुर/बिछिया
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंडला (म.प्र.)